0/2022/225 जयंती राजावत बनाम पप्पू उर्फ ह..लाल

2022/380

श्री मोहम्मद इकबाल   श्री राधेश्याम लक्षकार

जयंती राजावत बनाम पप्पू. वगै. (380 / 2022)

3.12.22 पत्रावली वास्ते सुनवाई स्थगन प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से श्री राधेश्याम लक्षकार एड्वोकेट ने वकालतनामा पेश किया , जो शामिल पत्रावली हो। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के द्वारा एक राजस्व वाद पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1405 रकबा 1.01 है0, 1406 रकबा 0.93 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.94 है0 वाके ग्राम मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद के बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त उपरोक्त आराजीयात अपीलांट की रिकार्डेड खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है। उपरोक्त आराजीयात में व झूलों से मंदिर तक जाने के लिए खसरा नम्बर 4439 गै.मु.रास्ता है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 जबरन बाड़ा बनाकर रास्ता अवरूद्ध करने पर आमादा है जबकि उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता है। उपरोक्त वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 04.02.2021 को पीठासीन अधिकारी ने अपीलांट की सुनवाई करते हुए स्थगन आदेश जारी कर रेस्पोडेन्ट को पाबंद कर दिया, जिसके पश्चात पत्रावली नियमित रूप से चली रही। दिनांक 19.04.2022 रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 03 की ओर से प्रार्थना पत्र दस्तावेज पेश किए गए तथा पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 11.05.2022 पेश होने बाबत् आदेशिका दर्ज की गई जो नियमित रूप से चलती रही। जिसके पश्चात् दिनांक 09.11.2022 को पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध मुन्तकिली प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के समक्ष विचाराधीन होने के तथ्य की जानकारी होने के बावजूद अपीलांट के पक्ष में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),दूदू के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1405 रकबा 1.01 है0, 1406 रकबा 0.93 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.94 है0 वाके ग्राम मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद अपीलांट की रिकार्डेड खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है। उपरोक्त आराजीयात में व झूलों से मंदिर तक जाने के लिए खसरा नम्बर 4439 गै.मु.रास्ता है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 जबरन बाड़ा बनाकर रास्ता अवरूद्ध करने पर आमादा है । उपरोक्त तथ्य की जॉच करने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था तथा दिनांक 09.11.2022 को बिना किसी आधार के अपीलांट के पक्ष में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा में संशोधन करते हुए मात्र खसरा नम्बर 4439 गै0मु0रास्ते में उभयपक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया कि वे रास्ते पर कब्जा नहीं करें, शेष समस्त अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जो पूर्व में जारी थी पर जारी स्थगन को निरस्त कर दिया जो पूर्ण रू पससे विधि विरूद्ध है, जिसकी आड़ में रेस्पोडेन्ट अपीलांट के कब्ज काश्त में दखलंदाजी करने पर सख्त आमादा है जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध हैं जिसकी आड़ में रेस्पोडेन्ट अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने पर सख्त आमादा हो रहे है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.11.2022 को स्थगित रखते हुए आराजी खसरा नम्बर 4439 के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखते

लगातार

55

380/2022/225 जयंतीराजावत बनाम पप्पू उर्फ इत्यादि

2022/320

श्री मोहम्मद इकबाल   श्री राधेश्याम जयसवाल

लगातार

हुए अपीलांट के कब्जे काश्त में दलखंदाजी करने एवं रास्ते की भूमि पर तारबंदी, कब्जा, बाड़ा बनाने से अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावे अथवा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.11.2022 को स्थगित रखते हुए आराजी खसरा नम्बर 4439 के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखते हुए अपीलांट के कब्जे काश्त में दलखंदाजी करने एवं रास्ते की भूमि पर तारबंदी, कब्जा, बाड़ा बनाने से अप्रार्थीगण को पाबंद करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 4439 गैरमुमकिन रास्ता है जो कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रयोग में आता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त खसरा नम्बर पर उभयपक्षकारान द्वारा कब्जा व आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपीलांट उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक व अधिकार नही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जावें तथा अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),दूदू के आदेश दिनांक 09.11.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वास्ते तलबी नोटिस अप्रार्थी संख्या 02, 04, 05 में नियत है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें । अभिभापक उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.01.2023 को उपस्थित होवें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर